(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1038–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–2–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 75/अपील/2014–15.

श्रीमती संगीता साहू पत्नी श्री इंद्रजीत साहू,
निवासी मकान नं.36, श्रीनगर कॉलोनी,
निशातपुरा बैरसिया रोड,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... आवेदिका

विरूद्ध

नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी
द्वारा सुरेन्द्र कुमार मित्तल,
मित्तल कॉलेज भोपाल मेमोरियलय चिकित्सालय
के सामने करोंद, भानपुर बायपास रोड,
भोपाल

.....अनावेदक

श्री सतीश सिंह, अभिभाषक– आवेदिका
श्री जी0एस0चौहान, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–2–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार गोविन्दपुरा वृत्त तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराये जाने पर 18 डिसमिल भूमि अनावेदक के कब्जे में पायी गई है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 25–3–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को दिलाये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–11–14 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुकत द्वारा दिनांक 1–2–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा तहसीलदार के सीमांकन आदेश दिनांक 15–1–13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16–2–16 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त कर दी गई है और अनावेदक पर सीमांकन सूचना तामील होने का निष्कर्ष निकाला गया है अतः तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है।

(2) तहसीलदार द्वारा विधिवत् अनावेदक पर सूचना पत्र तामील करायी गई है और उनके द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है तत्पश्चात् समाचारपत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी गई है, परन्तु अनावेदक जानबूझकर तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भी इसी आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी कि तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें विधिवत् सूचना नहीं दी गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् सूचना तामीली पाते हुये अपील निरस्त की गई है । अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक द्वारा आवेदिका की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और कब्जा नहीं छोडने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा केवल 4 दिन में सीमांकन कार्यवाही कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16–2–16 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त कर दी गई है । जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है और आवेदिका अभिभाषक भी माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थि हो चुके है।

(2) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बिना अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) सूचना पत्र की तामीली कराये बिना पीठासीन अधिकारी के आदेश के चस्पा से तामीली की गई है जो कि विधिअनुसार नहीं है ।

(4) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत बिना नियमों के पालन के सूचना पत्र अनावेदक पर तामील नहीं कराया गया है । अतः अनावेदक पर सूचना

पत्र की विधिवत् तामीली नहीं होने से तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

तर्क के समर्थन में 1990 आरएन 162 एवं 1986 आरएन 19 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक पर विधिवत् सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है। संहिता की धारा 47 के अन्तर्गत बने नियमों के तहत जब नियम 11, 12 व 13 में प्रावधानित रीति से सूचना पत्र की तामीली नहीं हो सके तब सूचना पत्र की चस्पीदगी से तामीली कराये जाने का प्रावधान है । इसके लिये भी पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है । प्रकरण में नियम 11, 12 व 13 में प्रावधानित रीति से तामीली नहीं कराई जाकर सीधे चस्पीदगी से तामीली कराई गई है जो कि विधिवत् नहीं ठहराई जा सकती है अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक को सूचना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्याय की भूल गई है इसलिये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर